बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: **अधिसूचना** ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-155/2022(खण्ड-1)-..........1021........./श्रीमती शबाना परवीन, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद के पदस्थापन कार्यकाल में विभागीय आदेश ज्ञापांक-5388 दिनांक-07.11.2022 के आलोक में विभागीय जॉच दल द्वारा दिनांक-09.11.2022 को समेकित बाल विकास परियोजना घोषी, जहानाबाद के कुल-04 आंगनबाड़ी केन्द्रों यथा केन्द्र सं0-93, 10, 12 एवं 20 की जॉच/ निरीक्षण कर पत्रांक-शून्य दिनांक-11.11.2022 द्वारा विभाग को निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें उपरोक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपस्थित बच्चों की संख्या पंजीकृत बच्चों की संख्या से कम पाये जाने, बच्चों को पोशाक में नहीं पाये जाने, सेविका द्वारा बताया जाना कि पोशाक की राशि उन्हें हीं मिली है परंतु इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पूर्व में हीं राशि उपलब्ध करा देने की बात कहना जैसे विरोधाभाष की स्थिति पाये जाने, THR पंजी में तेल, मसाला, नमक आदि का उल्लेख किये जाने परंतु लाभार्थियों को उपलब्ध नहीं कराये जाने, केन्द्रों में साफ-सफाई का घोर अभाव होने एवं बिजली की व्यवस्था नहीं होने एवं स्कूल पूर्व शिक्षा में लापरवाही बरतने आदि अनियमितताएँ पाये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अनियमितताओं एवं इन अनियमितताओं के आलोक में श्रीमती शबाना परवीन, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद के पत्रांक-615 दिनांक-20.12.2022 से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वार इनके विरूद्ध आरोप-पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर करते हुए विभागीय पत्रांक-1642 दिनांक-21.03.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(4) के तहत इनसे लिखित अभिकथन की मॉग किये जाने पर इनके पत्रांक-384 दिनांक-16.08.2023 से लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। इनसे प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-4996 दिनांक-05.10.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

(2) श्रीमती परवीन के विरूद्ध इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 एवं 17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्रीमती मीशा रंजीत कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री उदय प्रकाश सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी-1, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री उदय प्रकाश सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी-1, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के सेवानिवृत हो जाने के पश्चात विभागीय पत्रांक-2181 दिनांक-07.05.2024 द्वारा श्री सुशील कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी-1 को उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-4491 दिनांक-04.06.2025 द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें आरोप संख्या-01 एवं 04 को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-02 एवं 03 को आंशिक रूप से प्रमाणित माना गया। आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5488 दिनांक-16.07.2025 स्मार पत्रांक-6297 दिनांक-25.08.2025 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की मॉग किये जाने पर इन्होने अपने पत्रांक-512 दिनांक-14.10.2025 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया। श्रीमती परवीन के विरूद्ध आरोप पत्र में लगाये गये आरोप, जॉच पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन में दिया गया निष्कर्ष एवं आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में कमी एवं प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती गयी है। आरोप की गंभीरता को देखते हुए श्रीमती परवीन के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा 03 (तीन) वर्षों से अनाधिक अवधि के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति देने का निर्णय लिया गया।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती शबाना परवीन, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद सम्प्रति संदेश, भोजपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के नियम-14(iv) के प्रावधानों के तहत 03 (तीन) वर्षों से अनाधिक अवधि के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16/2/26

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-155/2022(खण्ड-1)- 1021 पटना-15 दिनांक :- 18.02.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/2/26

अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-155/2022 (खण्ड-1)- 1021 पटना-15 दिनांक :- 18.02.2026

ईमेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/मगध/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/बक्सर / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद/बक्सर / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधानआप्त सचिव / अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी(स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती शबाना परवीन, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद सम्प्रति संदेश, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/2/26

अपर सचिव

समाज कल्याण विभाग।